अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम परामर्श प्राधिकरण
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
एयर पोर्ट, बायपास रोड़, गांधी नगर, भोपाल – 462 036

दूरभाष : 0755 – 2678 833 फैक्स : 0755 – 2678 834, वेबसाईट : www.mpecca.org

पी.पी.टी. – 2009 के आधार पर पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चतुर्थ चरण की काउंसलिंग

23 सितंबर 2009 को सम्पन्न हुई तृतीय चरण की काउंसलिंग के पश्चात् प्रदेश के पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में रिक्त रह गई सीटों के विरूद्ध प्रवेश हेतु चतुर्थ चरण की काउंसलिंग सरदार वल्लभभाई पोलीटेकनिक महाविद्यालय श्यामला हिल्स, भोपाल में निम्नांकित कार्यक्रम अनुसार आयोजित की जाएगी। तृतीय **चरण की काउंसलिंग के उपरांत रिक्त बची हुई सीटों की अद्यतन जानकारी प्राधिकरण (ECCA) की वेबसाइट www.mpecca.org पर उपलब्ध रहेगी।**

काउंसलिंग कार्यक्रम – चतुर्थ चरण

29/10/2009 गुरूवार	समस्त श्रेणियों एवं समस्त वर्गो की महिला उम्मीदवार **(UR/SC//ST/OBC) (S/FF/PH/X) (F)**	प्रातः 9 बजे	150	0.00
	अनु. जनजाति के समस्त वर्गों के समस्त उम्मीदवार (ST) (F/OP) (S/FF/PH/X)	प्रातः 11 बजे	150	0.00
30/10/2009 शुक्रवार	समस्त श्रेणियों एवं समस्त वर्गों के उम्मीदवार (UR/SC/ST/OBC) (X/S/FF/PH) (F/OP)	प्रातः 9 बजे	150	67.00
		अपरान्ह 01 बजे	66.99	66.00
31/10/2009 शनिवार	समस्त श्रेणियों एवं समस्त वर्गों के उम्मीदवार (UR/SC/ST/OBC) (X/S/FF/PH) (F/OP)	प्रातः 9 बजे	65.99	65.00
	अनु. जाति के समस्त उम्मीदवार (SC) (S/FF/PH/X) (F/OP)	अपरान्ह 01 बजे	64.99	58.00

टिप्पणी :

01 पी.पी.टी. - 2009 की नियम पुस्तिका के अध्याय एक में दिये गये प्रवेश नियमों का कृपया ध्यान से अध्ययन कर लें । मात्र व्यापम द्वारा आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति एवं परीक्षा परिणाम घोषित होने से ही आपकी किसी विशेष श्रेणी/वर्ग में प्रवेश की पात्रता सिद्ध नहीं होती हैं, अनावश्यक असुविधा से बचने के लिये आपको सलाह दी जाती है कि पी.पी.टी.–2009 नियम पुस्तिका में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप आप अपनी पात्रता का सूक्ष्म परीक्षण कर लेवें एवं निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज काउंसलिंग के समय अवश्य लाएं, जिनके अभाव में आपको काउंसलिंग में अपात्र घोषित कर दिया जावेगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सलाह दी जाती है कि पिछले पाँच वर्षो के अध्ययन की मूल अंकसूचियाँ भी अपने साथ लायें ।

02 उम्मीदवारों को काउंसलिंग के समय अपने साथ पी.पी.टी.–2009 नियम पुस्तिका के अनुसार आवश्यक सभी **मूल प्रमाण–पत्र/दस्तावेज** (निर्धारित प्रपत्र में) एवं उनकी दो–दो छाया–प्रतियां, स्वयं की दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, नियमानुसार अग्रिम फीस एवं काउंसलिंग फीस के भुगतान के रूप में कमशः रू. 700/–(सात सौ रूपये) एवं रू. 300/– (तीन सौ रूपये) के बैंक ड्राफ्ट जो कि, **सचिव, ई.सी.सी.ए. भोपाल** के नाम से **भोपाल में देय** हों, लाना आवश्यक है। मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी, मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, एवं अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों द्वारा फीस की अग्रिम राशि का ड्राफ्ट देय नहीं है, अतः उन्हें कोई बैंक ड्राफ्ट नहीं लाना है।

03 चतुर्थ चरण की काउंसलिंग हेतु पृथक से काल लेटर नहीं भेजे जावेंगे, अतः उपरोक्त समय सारणी के अनुसार काउंसलिंग हेतु **सरदार वल्लभभाई पोलीटेकनिक महाविद्यालय श्यामला हिल्स, भोपाल** उपस्थित होवें।

04 यदि कोई अभ्यर्थी उसके लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी योग्यताक्रम अनुसार संस्था/ब्रांच के चयन का अवसर खो देगा। यद्यपि बाद में पात्र श्रेणी/वर्ग/कम्पार्टमेंट की काउंसलिंग की अवधि के दौरान उपस्थित होने पर उस समय उपलब्ध रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रवेश देने के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

05 चतुर्थ चरण की काउंसलिंग रिक्त सीटों के उपलब्ध होने तक ही आयोजित की जाएगी। यदि समस्त सीटें भर जाती हैं, तो आगे की काउंसलिंग निरस्त की जाएगी।

06 आप प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार हैं, अतः आपको प्रवेश का अवसर लेने के लिए बुलाया जा रहा है। **ऐसी संभावना हो सकती है कि आपकी काउंसलिंग के लिए निर्धारित समय पर आपकी पात्र श्रेणी एवं वर्ग की सीटें उपलब्ध न हों, अतः यह आपके हित में होगा कि काउंसलिंग के लिए आने के पूर्व प्राधिकरण की वेबसाइट www.mpecca.org से संबंधित श्रेणी एवं वर्ग की सीटों की जानकारी प्राप्त कर लेवें, ताकि सीट उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में होने वाली असुविधा से बचा जा सके। यदि आपकी बारी पर आपके लिये कोई सीट उपलब्ध नहीं रहती है तो इसकी जिम्मेदारी प्राधिकरण की नहीं होगी।**

07 काउंसलिंग के लिये अभ्यर्थी का स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है। **विशेष ध्यान दें कि अनावश्यक असुविधा से बचने के लिए एक अभ्यर्थी के साथ केवल एक ही पालक उपस्थित होवे।** पालक को अपने साथ कोई पहचान पत्र जैसे कि, वोटर पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि लाना आवश्यक होगा, ताकि पालक की सही पहचान की जा सके। अभ्यर्थी के साथ उसके माता/पिता, सगे भाई/बहन में से किसी एक के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति पालक के रूप में काउंसलिंग के समय नहीं आ सकते हैं।

08 यदि आप, किसी आरक्षित श्रेणी/वर्ग के ऐसे उम्मीदवार हैं, जिन्हें दिनांक 29/10/ 2009 को पृथक से काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है एवं आपने इस पृथक काउंसलिंग में सीट आवंटित करवा ली है तथा आपको अनारक्षित श्रेणी/बिना वर्ग/ओपन कम्पार्टमेंट में अपनी पूर्व आवंटित सीट से बेहतर सीट मिलने की उम्मीद हो, तो आप काउंसलिंग के लिए अपने प्राप्तांकों के अनुसार निर्धारित आगामी सत्रों जिनमें आप पात्र हैं, में पुनः उपस्थित हो सकते हैं।

09 ऐसे सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने त्रुटिवश पी.पी.टी.–2009 परीक्षा के फार्म भरते समय अपनी श्रेणी/वर्ग इत्यादि गलत अंकित कर दिये थे एवं जिनका परिणाम व्यापम द्वारा घोषित किया गया है, को सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग के समय अपने प्राप्तांकों के आधार पर समय–सारणी में निर्धारित तिथि एवं केन्द्र पर अपने सभी मूल प्रमाण–पत्रों के साथ उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्र सही पाये जाने की स्थिति में उनकी श्रेणी/वर्ग इत्यादि में तदानुसार काउंसलिंग के समय ही परिवर्तन किया जा सकेगा।

10 **इस चतुर्थ चरण की काउंसलिंग में केवल वे ही अभ्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने या तो पूर्व में पी.पी.टी. 2009 परीक्षा के माध्यम से प्रवेश नहीं लिया है, अथवा उक्त प्रवेश को दिनांक 27/10/2009 तक निरस्त करा लिया है। उल्लेखनीय है कि प्रवेश की अंतिम तिथि 31–10–2009 निर्धारित की गई है अतः 24–10–2009 के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर पी.पी.टी.–2009 नियम पुस्तिका के नियम क्र. 1.6.9 के अनुसार फीस वापस की पात्रता नही होगी। पूर्व प्रवेश निरस्त कराकर चतुर्थ चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज उस काउंसलिंग सेंटर से प्राप्त करने होंगे जहॉ से वे पूर्व में काउंसलिंग में शामिल हुए थे।**

सचिव